स्पीड-पोस्ट

संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश

(भूतल ''डी'' विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004)

www.ayush.mp.gov.in		Office (0755)2552830
Email:dirsthapna2ayush.mp@mp.gov.in		Fax (0755)2760225,2551527

क्रमांक / 2024 / 2 / स्था. / 2077-2113 भोपाल, दिनांक 28 / 06 / 2024

/ / आदेश / /

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची एवं आवश्यक अर्हताओं / शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को **आयुर्वेद कम्पाउंडर, पद कोड–13 (तृतीय श्रेणी) के पद पर (सातवे वेतनमान–25300–80500 लेवल–6)** एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम कमांक 07 मे अंकित स्थान पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :–

स. क्र.	वर्ग / संवर्ग प्रतीक्षा सूची क्रमांक	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम / पिता / पति का नाम / निवास स्थान	वर्ग / संवर्ग	कुल अंक	पदस्थापना स्थान का नाम
01	02	03	04	05	06	07
01	02	23563404	श्री कोमल झारिया, पिताः– श्री रामकुमार झारिया, पताः– ग्राम +पोस्ट देवगॉव तहसील धुघरी, जिला मण्डला म.प्र.	SC/NIL/OPEN	46.73	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, धोबीसर्रा, बरघाट, जिला सिवनी
02	03	23563993	श्री विजय कुमार, पिताः–श्री भोजराज कोगला, पताः– मुकाम / पोस्ट लोहारिया कलॉ, तहसील इटारसी, जिला नर्मदापुरम् म.प्र.	SC/NIL/ OPEN	46.73	शासकीय एच. डब्ल्यू.सी. घाटबिरौली, जिला बैतूल
03	02	23562952	श्री विष्णु सिंहल, पिताः–स्व. श्री ओमप्रकाश सिंहल, पताः– हॉस्पीटल रोड वार्ड नं. 15 जौरा, जिला मुरैना म. प्र.	EWS/NIL/OPEN	45.65	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, कनावर, जिला भिण्ड
04	03	23575213	श्रीमती कावेरी वास्केल, पत्नि– श्री सीताराम वास्केल, पताः– ग्राम पाल्या पोस्ट सोंदुल, तहसील, व जिला बड़वानी म.प्र.	ST/NIL/FEMALE	43.47	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, बोला, जिला धार
05	02	23562272	श्रीमती रीता वरकड़े, पत्नि– श्री सुरेन्द्र वरकड़े, पताः– ग्राम गोपालपुर ग्राम पंचायत गोपालपुर बिजाडांडी फ.बू. जिला मण्डला म.प्र.	ST/NIL/FEMALE	42.39	शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय मण्डला

02....

क्र.	वर्ग/संवर्ग प्रतीक्षा सूची क्रमांक	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम /पिता/पति का नाम/निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक	पदस्थापना स्थान का नाम
06	03	23563813	कु. अर्चना देवी साकेत, पिताः— श्री काशीप्रसाद साकेत, पताः— ग्राम छहिया ग्राम नईगढ़ी, जिला रीवा म. प्र.	SC/NIL/FEMALE	41.03	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, धनगन, जिला रीवा
07	04	23563926	कु. भारती खातरकर, पिताः— श्री काशीराम नागले, पताः— पुलिस चौकी के पास ग्राम खेड़ी सावलीगढ़, सिटी बैतूल म.प्र.	SC/NIL/FEMALE	41.03	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, कोथलकुण्ड, जिला बैतूल

उपरोक्त नियुक्तियॉ निम्नलिखित शर्तो के अधीन होंगी :—

01. यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।

02. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3—13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक—ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।

03. उक्त नियुक्त अभ्यर्थीयों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस मे अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।

04. कार्यभार ग्रहण करने पर 15 दिवस मे समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते है, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/— शासकीय कोषालय में मद—0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं—008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।

08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत् दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश मे आते है, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

8

3.....

09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोंन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होगें तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।

14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेगें तो यह माना जावेगा कि उन्होने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हे एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3–8–2006–3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान मे त्रुटि के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

(सोनाली पोंक्षे वायंगणकर)
वि.क.अ.सह आयुक्त
संचालनालय, आयुष

पृ.क./2024/02/स्था./2077-2113 भोपाल, दिनांक:28/06/2024

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, आयुष म.प्र. शासन।
02. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
03. कलेक्टर जिला...।
04. संभागीय आयुष अधिकारी...।
05. जिला कोषालय अधिकारी...।
06. जिला आयुष अधिकारी...।
07. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त आयुष संचालनालय।
08. संबंधित श्री ....।
09. आदेश नस्ती।
10. आई.टी. शाखा स्थानीय संचालनालय म.प्र.।

वि.क.अ.सह आयुक्त
संचालनालय, आयुष